न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 218/2019

1. राहुल पुत्री विजेन्द्र आयु 14 वर्ष
2. कल्पना पुत्री विजेन्द्र आयु 12 वर्ष
3. नवीन पुत्र विजेन्द्र आयु 10 वर्ष

नावालिगान जरिये वली कुदरती माता मंजू पत्नी विजेन्द्र जाति मेघवाल निवासी आसन त0 भादरा।

:— वादीगण

ब ना म

1. बेलीराम पुत्र जिसुखराम जाति मेघवाल निवासी आसन त0 भादरा।
2. विजेन्द्र पुत्र बेलीराम जाति मेघवाल निवासी आसन त0 भादरा।
3. बाला पुत्री बेलीराम .पत्नी जयवीर जाति मेघवाल निवासी आसन त0 भादरा हाल सूरतपुरा त0 भादरा।
4. सुमन पुत्री बेलीराम पत्नी रणधीर जाति मेघवाल निवासी आसन त0 भादरा हाल सिवानी त0 सिवानी जिला भिवानी।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
6. एसबीआई शाखा डाबडी जरिये शाखा प्रबंधक।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री श्रवण सहारण की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौंजा आसन के खाता सं0 34/37 के खसरा सं0 128, 129, 196, 233, 240, 242 कुल 19.830है0 बारानी खातेदारी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 बेलीराम के नाम 1/8 हिस्सा व रोही मोजा आसन के खाता सं0 62/63 के खसरा सं0 5 की 7. 170है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 बेलीराम के नाम 1/2 हिस्सा व रोही मोजा अजीतपुरा के खाता सं0 389/370 के खसरा सं0 1393/818 की कुल 4. 774है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 बेलीराम के नाम 0.972है0 खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि है उक्त वर्णित वादभूमि में बेलीराम के नाम दर्ज भूमि में से वादीगण सं0 1 ता 3 प्रत्येक को 1/16—1/16 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1, 3 व 4 प्रत्येक को 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 को 1/16 हिस्सा के खातेदार घोषित किया जाते है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.11.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:45:58 IST
Reason: SelfAttested

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

(शिविर प्रभारी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा
प्र.गा.के.संग अ.–2021
कैम्प ....
22/12/21

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 218/2019

1. राहुल पुत्री विजेन्द्र आयु 14 वर्ष
2. कल्पना पुत्री विजेन्द्र आयु 12 वर्ष
   नवीन पुत्र विजेन्द्र आयु 10 वर्ष

} जरिये वली कुदरती माता मंजू पत्नी विजेन्द्र जाति मेघवाल निवासी आसन त0 भादरा।

:— **वादीगण**

ब ना म

1. बेलीराम पुत्र जिसुखराम जाति मेघवाल निवासी आसन त0 भादरा।
2. विजेन्द्र पुत्र बेलीराम जाति मेघवाल निवासी आसन त0 भादरा।
3. बाला पुत्री बेलीराम पत्नी जयवीर जाति मेघवाल निवासी आसन त0 भादरा हाल सूरतपुरा त0 भादरा।
4. सुमन पुत्री बेलीराम पत्नी रणधीर जाति मेघवाल निवासी आसन त0 भादरा। हाल सिवानी त0 सिवानी जिला भिवानी।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
6. एसबीआई शाखा डाबडी जरिये शाखा प्रबंधक।

:— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री श्रवण सहारण : **वादी**
वकील श्री राज पैरोकार : **प्रतिवादी सं0 5**

निर्णय **दिनांक :** 18-10-2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा आसन के खाता सं0 34/37 के खसरा सं0 128, 129, 196, 233, 240, 242 कुल 19.830है0 बारानी खातेदारी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 बेलीराम के नाम 1/8 हिस्सा व रोही मोजा आसन के खाता सं0 62/63 के खसरा सं0 5 की [illegible] प्रतिवादी सं0 1 बेलीराम के नाम 1/2 हिस्सा व रोही मोजा अजीतपुरा [illegible] खाता सं0 389/370 के खसरा सं0 1393/818 की कुल 4.774है0 बारानी [illegible] सं0 1 बेलीराम के नाम 0.972है0 खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज [illegible] पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता जिसुखराम की खातेदारी हुआ करती थी। जिसुखराम के देहान्त होने पर उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 बेलीराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:45:58 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीका जन्म से हक एवं

Scanned with CamScanner

अधिकार निहित है। वादीगण अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तामील हो चुकी है। बार बार आवाज लगाई गई। बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने के कारण प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 5 स्टेट की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। व प्रतिवादी सं0 6 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु मंजू पत्नी विजेन्द्र जाति मेघवाल निवासी आसन के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में शपथ पत्र बाबत वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम आसन खाता सं0 34/37 संवत 2073–76 प्रदर्श 2, सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम आसन खाता सं0 62/63 संवत 2073–76 प्रदर्श 3, सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम आसन खाता सं0 389/370 संवत 2066–69 प्रदर्श 4, सत्यप्रतिलिपि विरासतन रजिस्टर प्रदर्श 5, दादालाई जमाबंदी रोही आसन संवत 2036 प्रदर्श 6, दादालाई जमाबंदी रोही आसन संवत 2036 से 2040 प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम गढडा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व शपथ पत्र बाबत वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 1 में शपथ पत्र बाबत वारिस प्रमाण पत्र में बेलीराम के एक पुत्र विजेन्द्र (विजेन्द्र के कानूनी वारिसान में मंजू पत्नी विजेन्द्र, राहूल पुत्र, कल्पना पुत्री) व दो पुत्री बाला व सुमन के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। रोही मौजा आसन के खाता सं0 34/37 के खसरा सं0 128, 129, 196, 233, 240, 242 कुल 19.830है0 बारानी खातेदारी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 बेलीराम के नाम 1/8 हिस्सा व रोही मोजा आसन के खाता सं0 62/63 के खसरा सं0 5 की 7.170है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 बेलीराम के नाम 1/2 हिस्सा व रोही मोजा अजीतपुरा के खाता सं0 389/370 के खसरा सं0 1393/818 की कुल 4.774है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 बेलीराम के नाम 0.972है0 खातेदारी राजस्व रिका[illegible] सं0 1 ता 3 प्रत्येक को 1/16–1/16 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1, 3 [illegible] को 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 को 1/16 हिस्सा के खा[illegible] वाद वादीगण पैतृक सम्पति के आधार पर आंशिक स्वीकार होने पर आंशि[illegible]कृत किया जाता है। ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:45:58 IST
Reason: SelfAttested

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी आंशिक स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा आसन के खाता सं0 34/37 के खसरा सं0 128, 129, 196, 233, 240, 242 कुल 19.830है0 बारानी खातेदारी वादभूमि में

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी सं0 1 बेलीराम के नाम 1/8 हिस्सा व रोही मोजा आसन के खाता सं0 62/63 के खसरा सं0 5 की 7.170है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 बेलीराम के नाम 1/2 हिस्सा व रोही मोजा अजीतपुरा के खाता सं0 389/370 के खसरा सं0 1393/818 की कुल 4.774है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 [illegible] 972है0 खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि है उक्त वर्णित वादभूमि में बेलीराम के नाम दर्ज भूमि में से वादीगण सं0 1 ता 3 प्रत्येक को 1/16–1/16 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1, 3 व 4 प्रत्येक को 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 2 को 1/16 हिस्सा के खातेदार घोषित किया जाता है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18-10-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर (फास्ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

(शिविर प्रभारी)
सहायक कलक्टर (फास्ट्रेक) भादरा
प्र.गा. के संग अ.-2021
22/12/21

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:45:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner